परिपत्र संख्या 16/16/2017 - जीएसटी

फाइल संख्या 354/173/2017-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक , 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: कतिपय सेवाओं के बारे में जीएसटी के लागू होने ओर उन पर आईटीसी की उपलब्धता के बारे में स्पष्टीकरण ।

मुझे बोर्ड की जानकारी में लाए गए कतिपय मुद्दों के बारे में निम्नलिखित स्पटीकरण देने का निदेश हुआ है ;

क्र.सं.	मुद्दा	टिप्पणी
1.	क्या कृषि उत्पादों जैसे कि चाय (काली चाय, सफेद चाय आदि) प्रसंस्कृत काफी बीन्स या पाउडर, दालें (छिलका रहित या दली हुई) गुड प्रसंस्कृत मसालों, प्रसंस्कृत ड्राई फूट्स प्रसंस्कृत काजू आदि की वेयर हाउसिंग पर जीएसटी लगती है या नहीं ।	जीएसटी अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 24 और अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 54, दिनांक 28 जून, 2017 के अनुसार कृषि उत्पादों की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या वेयर हाउसिंग पर शून्य दर से जीएसटी लगाई जाती है । 2. इस अधिसूचना में कृषि उत्पादों को 'किसी पौधे की खेती से प्राप्त उत्पाद' या पशुपालन से प्राप्त उत्पाद, घोड़ों के पालन को छोड़कर, खाद्य प्रदार्थ, फाइबर, ईंधन, कच्च माल या इसी प्रकार के उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर या तो अन्य कोई प्रसंस्करण नहीं होता है या ऐसा कोई प्रसंस्करण होता भी है तो वह किसी किसान या ऐसे उत्पादक द्वारा सामान्यतया किया जाता है जिससे इसके अनिवार्य गुण में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि इसे प्राथमिक बजारों में बेचने के योग्य बनाया जाता है ।

		3. पेय तैयार करने में प्रयोग की जाने वाली चाय जैसे कि काली चाय, ग्रीन टी, वाइट टी, एक ऐसा प्रसंस्कृत उत्पाद है जो कि किसी चाय के कारखाने में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि ड्राईग, रोलिंग, शैपिंग, रिफायनरी, ऑक्सीडेजशन, पैकिंग आदि, जो कि हरी पत्ती पर की जाती है के बाद तैयार होती है, और इस प्रकार ये इसका प्रसंस्कृत उत्पाद होती है । 4. इस प्रकार चाय की हरी पत्ती न कि चाय 'कृषि उत्पाद' होती है और इसी पर ही वह छूट दी जा सकती है जो कि कृषि उत्पादों की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या वेयर हाउसिंग के लिए दी जाती है । यही स्थिति काफी बिंस के प्रसंस्करण से तैयार की गई काफी के मामले में भी है । 5. इसी प्रकार गन्ने का प्रसंस्करण करके जो गुड बनाया जाता है इससे इसके अनिवार्य गुण बदल जाते हैं अत: गुड को भी कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता । 6. दालें वे होती हैं जिन्हें छिल्के से अलग किया गया होता है या जिनकी दराई हुई होती है या इनकी दराई की जो प्रक्रिया होती है वह सामान्यतया न तो किसानों द्वारा की जाती है और न ही उनके खेतों में होती है । बल्कि यह दाल मिलों के द्वारा की जाती है । अत: इन दालों को (जो कि छिलके से अलग होती हैं या दली हुई होती हैं) कृषि उत्पाद नहीं माना जाता है हालांकि साबुत दलहन जैसे कि चना राजमा आदि को कृषि उत्पाद की परिभाषा के दायरे में माना जाता है । 7. उपर्युक्त बातों को देखते हुए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे कि चाय (काली चाय, सफेद चाय आदि), प्रसंस्कृत काफी बिंस या पाउडर, दालें (छिल्के से रहित या दली हुई) गुड़, प्रसंस्कृत मसाले, प्रसंस्कृत ड्राई फ्रूट्स, प्रसंस्कृत काजू नट्स उन कृषि उत्पादों की परिभाषा से बाहर हैं जो कि अधिसूचना संख्या 11/2017-सी.टी. (दर) और 12/2017-सीटी (दर) और वे संबंधित अधिसूचनाओं जो कि आईजीएसटी और यूजीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत जारी की गई हैं में दिए गए हैं और इसलिए इनकी लदाई, पैकिंग वेयर हाउसिंग आदि पर जीएसटी से छूट उपलब्ध नहीं है और विगत

		में जारी अस्पष्टीकरण जो कि सेवा कर या व्यय/बिक्री कर के विरुद्ध हैं अब संगत नहीं हैं ।
2.	क्या एयरक्राफ्ट के इंजनों उनके कलपुर्जों और सहायक वस्तुओं जो कि अपनी ही एयरलाइंन में प्रयोग करने के लिए हों, के अंतरराज्यीय अंतरण पर जीएसटी लगाई जा सकती है ?	सीजीएसटी एक्ट की अनुसूची 1 के अंतर्गत 02 संबंधित व्यक्तियों या अलग-अलग व्यक्तियों, जो कि धारा 25 में विनिर्दिष्ट हैं के बीच की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जब इनकी आपूर्ति कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में हो, चाहे इसके लिए कोई प्रतिफल न भी हो, पर जीएसटी लगता है । 2. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि एयरक्राफ्ट के इंजनों उनके कलपुर्जों और सहायक वस्तुओं पर भुगतान की गई जीएसटी की क्रेडिट एयरक्राफ्ट के ऐसे इंजनों, कलपुर्जों और सहायक वस्तुओं का जब 02 अलग-अलग व्यक्तियों जो कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं के बीच अंतरराज्यीय स्टॉक अंतरण के रूप में अंतरण हो रहा हो तो उस पर मिलती है । बावजूद इसके की ऐसी वस्तुओं के उपभोग पर भारी इनपुट टैक्स की क्रेडिट 5 प्रतिशत की जीएसटी दर पर इकोनामी क्लॉस में यात्रियों के हवाई परिवहन की सेवा पर नहीं दी जाती है ।
3.	क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों/पुलिस कार्मिकों, विद्युत विभाग के कर्मचारियों या कालेजों/निजी स्कूलों के विद्यार्थियों आदि को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी लगता है (क) जहां प्रीमियम को राज्य सरकार के द्वारा भरा जाता है; और (ख) जहां प्रीमियम कर्मचारियों, विद्यार्थियों आदि द्वारा भरा जाता है ।	एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य को किसी बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को, जिसमें पूरा का पूरा प्रीमियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा भरा जाता है, अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 40 के अंतर्गत जीएसटी से छूट दी गई है । इसके अलावा सामान्य बीमा (सरकार द्वारा प्रबंधित) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पुलिस कार्मिकों, विद्युत विभाग के कर्मचारियों या विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवा के मामले में अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी (आर) की प्रवृष्टि 6 के तहत उन्हीं सेवाओं को छूट प्राप्त है जिनको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकायों के द्वारा व्यक्तियों को दी जाती है ।

6. इस परिपत्र के लागू होने पर यदि कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीया,

(रचना)
टेक्निकल ऑफिसर (टीआरयू)
ई-मेल : rachna.irs@gov.in